"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2009—अग्रहायण 13, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2009

क्रमांक ई-7/11/2003/1/2.—श्री एस. के. बेहार, भा. प्र. से., आयुक्त-सह-संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 19-11-2009 से 30-11-2009 (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बेहार आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-संचालक, महिला एवं बाल विकास, छ. ग. तथा पदेन सचिव, छ. ग. शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

3. अवकाश काल में श्री बेहार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बेहार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री बेहार के उक्त अवकाश अवधि में महिला एवं बाल विकास संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर में पदस्थ वरिष्ठतम अधिकारी अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त-सह-संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2009

क्रमांक ई-7/05/2005/1/2.—सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से., प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 26-10-2009 से 05-11-2009 तक (11 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25-10-2009 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री निगार आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री निगार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री निगार अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2009

क्रमांक ई-7/12/2008/1/2.—सुश्री ओमेगा यूनाईस टोप्पो, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 23-11-2009 से 11-12-2009 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर तथा 12, 13 दिसम्बर, 2009 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री टोप्पो आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री टोप्पो अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2009

क्रमांक ई-7/12/2007/1/2.—श्री एलेक्स व्ही. एफ. पाल मेनन, भा.प्र.से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बीजापुर, जिला बीजापुर, छ. ग. को दिनांक 11-11-2009 से 04-12-2009 तक (24 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मेनन आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बीजापुर, जिला बीजापुर, छ. ग. के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मेनन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मेनन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2009

क्रमांक/3866/डी-15/116 (पार्ट-2)/2004/14-2.— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रसंस्करणकर्ता द्वारा राज्य के बाहर से प्रसंस्करण हेतु लाये गये दलहन एवं गेहूं पर 01-04-2009 से 31-03-2011 तक की कालावधि के लिए मण्डी शुल्क से उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन पूर्णत: छूट प्रदान करती है.

No./3866/D-15/116/Part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby exempts full Market Fees [Under Sub-section (1) of Section 19 of the said Act] on the pulses and wheat which are brought by processors from out side of the State for processing for the period from 01-04-2009 to 31-03-2011.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद वर्मा, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2009

क्रमांक 2850 एफ 7-65/32/2009.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मगरलोड, निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई है :—

अनुसूची

मरगलोड, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम परसवानी, कमरौद, चारभाठा एवं शुकलाभाठा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम शुकलाभाठा, बेलादोना एवं तेन्दूभाठा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम तेन्दूभाठा, भैंसमुण्डी एवं सोनपैरी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम सोनपैरी, लुंगे एवं परसवानी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2009

क्रमांक 2853/2382/32/स्था./2007.— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर द्वारा नया रायपुर विकास योजना 2021 के अंतर्गत ग्राम खपरी पटवारी हल्का नंबर 71/16, खसरा क्रमांक 273 का भाग, 282 का भाग, 283 का भाग, 289/1 का भाग, 289/2 का भाग, 291 का भाग, 292 का भाग, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299/1, 299/2, 300 का भाग, 301/1-3 का भाग, 302 का भाग, 303 का भाग, 309 का भाग एवं 329 का भाग तथा उपरवारा में पटवारी ह. नं. 137/16 खसरा क्रमांक 767 का भाग, 768 का भाग, 770 का भाग, 809 का भाग, 852 का भाग, 854 का भाग, 855 का भाग, 856 का भाग, 857 का भाग, 858, 859 का भाग, 860, 841 का भाग, 861 का भाग, 862 का भाग, 853 का भाग कुल रकबा 11.76 हेक्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों के अंतर्गत आमोद-प्रमोद हेतु निर्दिष्ट भू-उपयोग से निकाल दिये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि में (अस्पताल) का निर्माण प्रस्तावित किया गया है क्योंकि नया रायपुर में प्रश्नाधीन स्थल से लगी भूमि सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग हेतु निर्धारित है.

अत: राज्य शासन, एतद्द्वारा यह समाधान होने के पश्चात् कि प्रश्नाधीन भूमि को आमोद-प्रमोद के भू-उपयोग में रखा जाना आवश्यक नहीं रह गया है, प्रश्नाधीन भूमि के भू-उपयोग को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 35 (2) के अंतर्गत नया रायपुर विकास योजना 2021 में से आमोद प्रमोद हेतु आरक्षण से निकाल दिए जाने की मंजूरी देता है.

इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रश्नाधीन भूमि नया रायपुर विकास योजना 2021 में दर्शित आरक्षण से निर्मुक्त हुई समझी जावेगी और वह पार्श्वस्थ भूमि के मामले में सुसंगत योजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय विकास के प्रयोजन के लिए स्वामी को उपलब्ध हो जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 10 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	मुरली	28.60	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	डूबान क्षेत्र हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 19 नवम्बर 2009

रा. प्र. क्र. 06/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	खारा प. ह. नं.- 46	2.040	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.).	खारा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर/नाली निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 19 नवम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 07/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	भेलवाटोला प. ह. नं.- 47	1.869	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.).	खम्हरिया जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 19 नवम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 08/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	गीधनखार प. ह. नं.- 47	22.904	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.).	लोहारीडीह जलाशय निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 19 नवम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 09/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	अमेरा प. ह. नं.- 03	0.198	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.).	अमेरा एनीकट निर्माण

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 19 नवम्बर 2009

रा. प्र. क्र. 10/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	सिली प. ह. नं.- 03	0.190	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.).	अमेरा एनीकट निर्माण

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 13 नवम्बर 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/11/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	कबोंगा	0.113	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	जैतपुरी गुरला मार्ग के कि. मी. 9/6 पर गुरला नाला पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव/कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2009

क्रमांक 13/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	मटियाडांड़	0.04	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	लोवरसोन व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2009

क्रमांक 14/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	सेखवा	1.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	लोवरसोन व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2009

क्रमांक 15/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	मटियाडांड़	1.54	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	बंशीताल नहर योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2009

क्रमांक 16/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	दानीकुण्डी	4.99	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	बंशीताल नहर योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2009

क्रमांक 17/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	मौहारीटोला	0.40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	बंशीताल नहर योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अगस्त 2009

क्रमांक 18/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	महोरा	7.12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	बगड़ी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2009

क्रमांक 3/अ-82/2003-04.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सेंवरा	108.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	बगड़ी जलाशय योजना के तहत डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 26 नवम्बर 2009

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	सपनादर	37.037	भारत अल्यूमिनियम कंपनी-बालको (मैनपाट)	ग्राम सपनादर में बाक्साइट उत्खनन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2006-2007.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़ द्वारा ग्राम खम्हांर, प. ह. नं. 5 राजस्व निरीक्षक मंडल लैलूंगा तहसील लैलूंगा जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 19.512 हेक्टेयर को झरन जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: 23-2-2007 तथा 8-6-2007 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़ द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि में से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 व 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम का नाम-खम्हार

प. ह. नं. 5, राजस्व निरीक्षक मंडल-लैलूंगा, तहसील-लैलूंगा, जिला रायगढ़

खसरा नंबर (1)	रकबा हेक्टेयर में (2)
197/2	0.122
222	1.080
योग	**1.202**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का मानचित्र एवं अन्य ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2006-2007.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ छ. ग. द्वारा ग्राम बड़गांव प.ह.नं. 36 राजस्व निरीक्षक मंडल तमनार तहसील तमनार जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 15.414 हेक्टेयर को केलो परियोजना के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जा कर छ. ग. राजपत्र में क्रमश: 08-06-07 एवं 23-11-07 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि में से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 व 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम का नाम-बड़गांव

प. ह. नं. 36, राजस्व निरीक्षक मंडल-तमनार, तहसील-तमनार, जिला रायगढ़

खसरा नंबर (1)	रकबा हेक्टेयर में (2)
31/1	0.057
64/2	0.178

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का मानचित्र एवं अन्य ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2006-2007.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ द्वारा ग्राम आमाघाट, प.ह.नं. 38, तहसील व जिला-रायगढ़ की निजी भूमि रकबा 9.545 हे. बांध निर्माण प्रयोजन हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 09-03-2007 तथा 08-06-2007 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि में से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-आमाघाट
प. ह. नं. 38, रा.नि.म. आमाघाट, तह. घरघोड़ा, जिला-रायगढ़

स. क्र.	खसरा नंबर	रकबा हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)
1	447	0.047
2	464/4	0.061
3	441	0.025
4	458	0.000
5	480	1.008
योग	5	**1.141**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का मानचित्र एवं अन्य ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2006-2007.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ द्वारा ग्राम राटरोट, प.ह.नं. 38, तहसील व जिला-रायगढ़ की निजी भूमि रकबा 6.330 हे. बांध निर्माण प्रयोजन हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 09-03-2007 तथा 08-06-2007 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि में से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-राटरोट
प. ह. नं. 38, रा.नि.म. राटरोट, तह. घरघोड़ा, जिला-रायगढ़

स. क्र.	खसरा नंबर	रकबा हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)
1	17	0.031
योग	1	**0.031**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का मानचित्र एवं अन्य ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2006-2007.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ द्वारा ग्राम तमनार, प.ह.नं. 38, तहसील व जिला-रायगढ़ की निजी भूमि रकबा 4.552 हे. बांध निर्माण प्रयोजन हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 27-04-2007 तथा 23-11-2007 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि में से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-तमनार
प. ह. नं. 38, रा.नि.म. तमनार, तह. घरघोड़ा, जिला-रायगढ़

स. क्र. (1)	खसरा नंबर (2)	रकबा हेक्टेयर में (3)
1	1069, 1096/3 ग	0.024
2	1081/2	0.021
3	1249/5	0.021
4	1071, 1096/5 क	0.038
5	1096/6 क	0.071
योग	**5**	**0.175**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का मानचित्र एवं अन्य ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 16 अक्टूबर 2009

क्रमांक/3776/भू-अर्जन/05/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
(ख) तहसील-गीदम
(ग) नगर/ग्राम-मुचनार, प. ह. नं. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
135	0.06
134	0.19

(1)	(2)
140	0.13
योग	0.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लघु जल विद्युत परियोजना माढेर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-शंकरपाली, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.116 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108	0.020
109	0.028
112/2	0.036
112/2, 113/3	0.032
योग 4	0.116

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से अमलीपाली वितरक नहर का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-लिंजिर, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.328 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
723	0.020
761/1	0.137
724/2	0.081
759	0.033
725	0.283
763	0.435
766	0.303
758	0.036
योग 8	1.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से छींच माइनर नहर का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-छींच, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.369 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
108/1 ख	0.028
283/1	0.049
108/3 ख	0.024
108/2	0.065
109/1 क	0.045
179/2	0.004
109/1 ख	0.020
109/2	0.014
179/1	0.040
173	0.150
108/3 ग	0.058
178/2	0.040
178/1	0.040
176/1	0.035
176/2	0.008
430	0.008
177	0.032
439/1	0.046
276/2	0.045
276/3	0.065
275	0.061
290/6 क	0.004
279/4 ग	0.004
108/1 क	0.071
279/5	0.097
269/2 ख	0.040
285/1 ख	0.065
429	0.069
431	0.057
432	0.016
279/6	0.020
279/1	0.032
279/2 क	0.051
285/1	0.049
290/6 घ	0.020
283/2	0.028
284	0.077
438	0.077
267	0.016
437	0.045
285/1 क/2	0.012
285/2 क	0.069
289	0.004
290/2	0.105
290/3 क	0.049
290/3 ख	0.004
279/2 घ	0.040
290/6 ख	0.017
447/1	0.020
440	0.016
290/7 ख	0.020
290/7 क	0.020
290/7 ग	0.020
285/2 ख/1	0.049
290/6 ग	0.032
174	0.077
279/ग	0.084
269/1	0.016
योग 58	2.369

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से छींच माइनर नहर का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कर्राजोर, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.841 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
125	0.069
126/2 क	0.032
126/4	0.004
126/6	0.020
145/2	0.016
126/3	0.040
126/6	0.032
323/3	0.032
127/1	0.008
327/1	0.126
127/2	0.004
127/5	0.077
128	0.028
133/2	0.117
343/22	0.139
343/26	0.081
133/4	0.089
146/2	0.077
133/5	0.016
133/7	0.004
201/36	0.053
133/6	0.126
201/28	0.065
343/46	0.053
144/2	0.081
145/1	0.053
323/1	0.004
147	0.004
201/3	0.053
201/7	0.053
312/7	0.151
209	0.012
212/1	0.016
213/2	0.073
216/2	0.016
194/1	0.101
214	0.057
216/4	0.057
353/3	0.032
313/2	0.049
321	0.004
329	0.147
322	0.210
323/2	0.012
326	0.243
343/32	0.020
343/36	0.012
343/43	0.053
353/2	0.020
योग 49	2.841

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से छींच माइनर नहर का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-पुसौर
   (ग) नगर/ग्राम-सारसमाल, प. ह. नं. 36
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
256/4	0.077
256/7	0.012
256/8	0.053
351/2	0.016
369	0.008
370	0.077
374/1	0.053
374/2	0.081
374/3	0.016
375	0.093
379	0.143
391	0.057
380/2	0.061
256/3	0.012
383/2	0.077
392/3	0.076
385/3	0.084
386	0.049
389/1	0.061
392/6	0.038
392/7	0.038
योग 21	1.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से छींच माइनर नहर का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-पुसौर
   (ग) नगर/ग्राम-सुर्री, प. ह. नं. 29
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.333 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
624/1	0.010
624/2	0.016
708/1	0.010
708/5	0.083
627/1 ग	0.024
629/2 ख	0.017
629/2 ग	0.017
627/2 क	0.081
628/2 ख	0.020
627/2 ख	0.042
839/2	0.034
628/1	0.040
628/2 क	0.040
629/1 घ	0.118
629/2 घ	0.129
633/2	0.010
634/1 क	0.069
636/1 ग	0.032
648/2	0.057
634/1 ख	0.069
637	0.020
645/1	0.004
635/1	0.019
643/1	0.240
644	0.020

(1)	(2)
647	0.081
635/2	0.035
675/1 क	0.028
675/3 ख	0.028
627/1 घ	0.082
688/1 ग	0.041
673/2	0.012
673/4	0.053
673/3	0.077
673/7	0.043
687/5	0.008
675/1 ख	0.061
675/1 ग	0.040
675/1 घ	0.017
675/3 ग	0.028
708/4	0.008
675/2 ख	0.010
748/1 ख	0.090
675/4 ज	0.045
720/1 ङ	0.024
685	0.004
686	0.006
687/4	0.134
689	0.085
690/1	0.045
707/2	0.053
707/3	0.032
707/4	0.047
747/5	0.057
708/3	0.024
709/3	0.016
710/1	0.040
710/3	0.077
751/1	0.069
710/2 ख	0.016
717/1 क	0.045
710/2 ग	0.040
751/2 घ	0.045
717/1 ख	0.036
748/1 क	0.043
748/2 ख	0.041
719/3	0.020
719/4	0.089
719/5	0.012

(1)	(2)
720/1 ख	0.061
751/2 क	0.065
750	0.045
838/1 क	0.059
837/1 ख	0.055
837/1 क	0.035
837/1 झ	0.025
748/1 घ	0.066
748/2 क	0.004
720/1 घ	0.096
675/2 ग	0.065
720/1 क	0.044
720/1 ग	0.052
675/4 क	0.020
720/2	0.004
837/1 च	0.070
837/1 छ	0.024
837/1 ज	0.076
837/2	0.007
634/1 ङ	0.067
836/1 च	0.008
836/1 छ	0.008
836/1 ज	0.021
675/5 घ	0.016
836/1 झ	0.070
836/2 क	0.026
748/2 घ	0.041
836/2 ख	0.016
836/3 ख	0.008
839/3	0.062
837/1 घ	0.004
837/1 ङ	0.005
योग 101	4.333

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से छींध माइनर नहर का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कोतमर्रा, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.784 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	27	0.032
	23	0.081
	24/1	0.016
	24/2	0.049
	25	0.089
	26	0.049
	28/3	0.020
	29/1	0.053
	30/1	0.121
	30/2	0.049
	30/3	0.036
	30/4	0.032
	30/6	0.024
	30/7	0.020
	30/9	0.113
योग	15	0.784

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से अमलीपाली वितरक नहर का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बादीमाल, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.796 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
192/6	0.049
194/4	0.016
170/3	0.008
74/2	0.053
208/1	0.057
208/2	0.125
193	0.253
183	0.065
180/2	0.053
186	0.113
194/2	0.008
194/1	0.073
115/7	0.041
74/3	0.008
70	0.008
196/1	0.049
119	0.162
73/2	0.020
73/1 ख	0.057
78/1	0.0[illegible]9
121/1	0.012
77/1	0.053
74/1	0.020
77/2	0.008
74/4	0.093

(1)	(2)
77/3	0.041
189	0.057
185	0.089
187	0.117
118/2 ख	0.008
115/1	0.040
115/4	0.101
115/6	0.020
184/3	0.008
78/2	0.121
181/4	0.016
178/2	0.040
181/5	0.069
181/6	0.028
178/3	0.024
116/1	0.012
116/2	0.053
179/1	0.057
72/1 ख	0.097
120/2	0.005
195/1	0.004
73/1 क	0.093
208, 308	0.069
117	0.077
167/2 ख	0.057
योग 50	2.796

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से अमलीपाली वितरक नहर का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.